



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012024-251124
CG-DL-E-03012024-251124

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 08]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1945

No. 08]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSHA 13, 1945

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 09(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (1898 का 6) की धारा 74 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (3) के खंड (ड) और धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय डाकघर नियम, 1933 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये नियम, राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय डाकघर नियम, 1933 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 42 के उप-नियम (5) का लोप किया जाएगा।
- उक्त नियमों के नियम 43 क के उप-नियम (4) का लोप किया जाएगा।
- उक्त नियमों के नियम 194 ख के उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 27-1/2021-पीओ]

जगन्नाथ श्रीनिवासन, उप महानिदेशक

टिप्पण : 1 जनवरी, 1975 तक यथा संशोधित मूल नियम, डाक एवं तार नियम पुस्तिका खंड -I, विधायी अधिनियमिति, भाग - 1, पांचवा संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 809(अ), तारीख 23 अक्टूबर, 2023 द्वारा इनका संशोधन किया गया।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Posts)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2024

G.S.R. 09(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (3) of Section 16 and Section 21, read with section 74 of the Indian Post Office Act, 1898 (6 of 1898), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Post Office Rules, 1933, namely: -

1. (1) These rules may be called the Indian Post Office (Amendment) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Post Office Rules, 1933, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 42, sub-rule (5) shall be omitted.
3. In rule 43 A of the said rules, sub-rule (4) shall be omitted.
4. In rule 194 B of the said rules, sub-rule (2) shall be omitted.

[F. No. 27-1/2021-PO]

JAGANNATH SRINIVASAN, Dy. Director General

Note. - The principal rules as amended up to the 1st January, 1975 were published in the Posts and Telegraphs Manual Volume - I, Legislative Enactments, Part I, Fifth Edition and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 809 (E), dated the 23rd October, 2023.